रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937
No. 178]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 320(अ).—भारत सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के *तहत* प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। इन नियमों ने देश में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए एक नियामक ढ़ांचा उपलब्ध कराया;

और इन नियमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुन: चक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के अन्य किसी स्रोत से अथवा मध्यवर्ती सामग्री पुन: प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़ों के संग्रहण में अपशिष्ट बीनने वालों, पुन: चक्रकों और अपशिष्ट संसाधकों को शामिल किया और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए प्रदूषकों के भुगतान करने का सिद्धांत अपनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत प्रकाशित कराए गए थे जिसमें जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं उससे 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व इनसे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो उक्त अधिक्रमण से पूर्व की गई है अथवा जिनका विलोप किया गया है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 है।

(2) इन नियमों में उपबंध के सिवाए वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-**

(1) ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विनिर्माता और उत्पादक को लागू होंगे।

(2) नियम 4 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होगा: परन्तु यह छूट गुटका, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाइयों और किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।

3. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **"ब्रांड स्वामी"** ऐसे व्यक्ति या कंपनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) **"कैरी बैग"** से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वत: ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;

(घ) **"वस्तु से"** ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;

(ङ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(च) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियुत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंनियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(छ) **"विघटन"** से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(ज) **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"** से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावर्णीय रूप से सुदृढ़ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है;

(झ) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं;

(ञ) **"सुविधा"** से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पुन: चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;

(ट) **"आयातकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाइसेंस है, जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो;

(ठ) **"संस्थागत अपशिष्ट जनित्र"** से केन्द्रीय सरकारी विभागी, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॅपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ड) **"विनिर्माता"** से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है;

(ढ) **"बहुस्तरीय पैकेजिंग"** के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से एम स्तर रखती है;

(ण) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रीलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अनतर्विष्ट हों;

(त) **"प्लास्टिक चद्दर"** के प्लास्टिक चद्दर से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी चद्दर;

(थ) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है;

(द) **"विहित प्राधिकारी"** से नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) **"उत्पादक"** से कैरी बैग या बहुतस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढ़कने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(न) **"पुन: चक्रीकरण"** नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है;

(प) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;

(फ) **"पथ विक्रेता"** का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) में है;

(ब) **"शहरी स्थानीय निकाय"** से नगर निगम, म्युनिसिपलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद जैसे विभिन्न नामों वाले शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित हैं;

(भ) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;

(म) **"अपशिष्ट जनित्र"** से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह और रक्षा कन्टून्मेंट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं, सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(य) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भंडारण, परिवहन, पुन: उपयोग, पुन: प्राप्ति, पुन:चक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(र) **"अपशिष्ट चुनने वाले"** से पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या एजेंसियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

4. शर्तें.-

(1) कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात :-

(क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होंगे जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगकों का उपयोग कर बनाए गए हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय

पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप हैं ;

(ख) पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ग) अप्रयुक्त या पुन:चक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई में पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी;

(घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्यरण में बाधक हो;

(ङ) विनिर्माता संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध कराएगा या न व्यवस्था करेगा;

(च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन: चक्रण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुन:चक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होगा;

(ज) मोटाई का प्रावधान कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कंपोस्ट योज्य कैरी बैग के विनिर्माता या विक्रेता विपणन या बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे;

(झ) विनायल एसिटेट-मलेइक एसिड-विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध.-

(1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा :-

(क) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुन:चक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्टि पुन:चक्रक को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुन:चक्रण समय-समय पर यथा-संशोधित पुन:चक्रण के लिए दिशा-निर्देश नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधानत: ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट का जिसका पुन:चक्रीकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण करने या ऊर्जा पुन: प्राप्त करने या वेस्ट टु ऑयल आदि हेतु करने को प्रोत्साहित करेंगी। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किया जाएगा।

(ग) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुन:चक्रण या प्रसंस्करण की सुविधाओं के अक्रिय का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुपालन में या समय-समय पर संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

6. स्थानीय निकाय का दायित्व.-

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्;

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ग) पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुन:चक्रण योग्य भाग के प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;

(ङ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(च) अपशिष्ट चुनने वालों के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाना; और

(छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

(3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली के गठन के लिए स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा और इन नियमों को भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रणाली का गठन किया जाएगा।

(4) स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाएगा।

7. ग्राम पंचायतों का दायित्व.-

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात.-

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाले पुन:चक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुन:चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट का सरणीकरण सुनिश्चित करना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

(ख) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

8. अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व.-

(1) अपशिष्ट जनक.-

(क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और स्त्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने के कदम उठाएगा।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक अपशिष्ट को शहरी स्थायी निकायों या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुन:चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपेगा;

(2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टकों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपेंगे।

(3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोक्ता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो;

(4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अंतर्वलित है, ऐसे आयोजनों के दौरान जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेगा।